उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग,

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0

(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)

कक्ष संख्या 1025, दश्म तल, शक्ति भवन विस्तार

14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

CIN: U40101UP1980SGC005065

UPRVUNL

विज्ञापन संख्या यू–38 / यूपीआरवीयूएसए / 2021

उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० हेतु अनारक्षित (UR), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर) (OBC-NCL), आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) एवं अन्य क्षैतिज आरक्षण श्रेणी के समूह 'ग' के निम्न रिक्त पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगात्मक परीक्षा द्वारा चयन हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले भारतीय नागरिकों से **आवेदन ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आमंत्रित हैं। अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।** श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है :

पदनाम	विधा	पद कोड	कुल रिक्तियाँ	रिक्तियों का वर्गीकरण					क्षैतीज आरक्षण		
				अना-रक्षित (UR)	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC-NCL)	अनुसूचित जाति (SC)	अनुसूचित जनजाति (ST)	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	दिव्यांग-जन* (PWD)	भूतपूर्व सैनिक (ESM)	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित (DFF)
अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) विद्युत एवं यॉंत्रिक	विद्युत	01	69	42	15	05	03	04	02	03	01
	यॉंत्रिक	02	78	46	17	06	04	05	02	04	01
	इलेक्ट्रानिक्स / कन्ट्रोल एण्ड इन्स्टूमेन्टेशन	03	39	23	09	03	02	02	01	02	01
	कम्प्यूटर	04	10	06	02	01	00	01	00	00	00
कुल रिक्तियॉं			196	117	43	15	09	12	05	09	03

*{OA-One Arm affected(R or L), OL-One leg affected (R or L), PB-Partially Blind, PD-Partially Deaf}

- ❖ उपरोक्त रिक्तियों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाने एवं बढ़ाने का अधिकार उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के पास सुरक्षित है।
- ❖ उक्त पद पर आरक्षण उ0प्र0 राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमन्य है। अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं।
- ❖ उपरोक्त पद पर चयन होने की अवस्था में निगम की तापीय परियोजनाओं में निगम की आवश्यकतानुसार पाली में कार्य करना होगा।
- ❖ पद पेन्शनेबुल न होकर मात्र अंशदायी भविष्य निधि योजना के अर्न्तगत आवरित है।

1. **वेतनमान :–**

पदनाम	पदकोड	पे मेट्रिक्स (लेबल)	प्रारम्भिक वेतन (रू0)	भत्तें
अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) विद्युत एवं यॉंत्रिक	1,2,3,4	लेबल–07	44900.00	उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में लागू नियमानुसार होगें।

2. **अनिवार्य शैक्षिक अर्हतायें:–**

(a) Thorough Knowledge of Hindi in Devnagari Script. If the candidate has not passed High School or equivalent examination in Hindi, he/she has to clear the an exam conducted by the exam Regulatory Authority U.P. (Earlier known as Registrar, Departmental Examinations Govt. of UP), within 3 years of joining.

(b) 03 years diploma examination in Electrical/Mechanical/Electronics/Control and Instrumentation/ Instrumentation/Computer Engineering from a institute recognized by the State Government.

Or

City and Guides London institute, Final Grade examination in Electrical Engineering Practice Post I and II held after June 3, 1950.

Or

03 years All India Diploma Examination in Electrical/Mechanical/Electronics/ Control and Instrumentation/Instrumentation/Computer Engineering conducted by the "All India Council for Technical Education", Government of India, Delhi Polytechnic.

Or

03 years Diploma Examination in Electrical/Mechanical/Electronics/ Control and Instrumentation/ Instrumentation/Computer Engineering conducted by any of the Universities in India incorporated by any act of the Central/State legislature.

Or

National Certificate in Electrical/Mechanical/Electronics/Control and Instrumentation/ Instrumentation/ Computer Engineering awarded by the "All India Council for Technical Education, Government of India."

Or

Final Examination held by the State Board of Technical Education, Uttar Pradesh for 02 years, Diploma Courses in Mechanical Engineering (Machine Tools Technology), Electrical Engineering (Electrical Technology) and Electronics/Control and Instrumentation/ Instrumentation/Computer Engineering in respect of students trained at the under mentioned institutions.

(i) Government Polytechnic, Lucknow.

(ii) National Polytechnic, Nainital.

<u>Note</u>: **(i) Diploma from distance learning education shall not be eligible.**

(ii) Diploma must be completed at the time of submission of application.

(iii) If there is a CGPA/OGPA or CPI system then the candidate must bring relevant conversion formula issued by their Institution or University, to convert CGPA/ OGPA or CPI in to percent.

3. **आयुः** दिनॉक 01.01.2021 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष।

<u>अप्रेन्टिसशिप के अन्तर्गत वरीयता सम्बन्धी :</u>

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 से शिशिक्षु अधिनियम (Apprenticeship Act-1961) के अन्तर्गत 01 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को निगम में सीधी भर्ती के पदों पर चयन परीक्षा में प्रतिभाग करने पर निम्नानुसार वरीयता प्रदान की जायेगी :

(i) भर्ती परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में शिशिक्षु अधिनियम के अन्तर्गत प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी को अन्य अभ्यर्थी के सापेक्ष वरीयता दी जायेगी।

(ii) भर्ती परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में शिशिक्षु अधिनियम के अन्तर्गत पहले प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

(iii) भर्ती परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने एवं एक ही वर्ष में प्रशिक्षण पूर्ण किये अभ्यर्थियों में से अधिक उम्र के अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

4. **<u>आयु में अनुमन्य छूटः</u>**

(i) अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन–क्रीमीलेयर)(OBC-NCL) के अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है, अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

(ii) भूतपूर्व सैनिक (यथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 05 वर्ष की सेवा की हो), जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है, की वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में की गई सेवा अवधि कम करते हुये परिणाम जन्य आयु उस पद/सेवा के निमित्त जिसके लिये वह नियुक्ति का इच्छुक है, विहित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

(iii) जो अभ्यर्थी अप्रेन्टिसशिप एक्ट 1961 के अन्तर्गत अप्रेन्टि्स किये हो, को अधिकतम आयु सीमा में छूट, अप्रेन्टिसशिप अवधि या एक वर्ष जो भी कम हो, अनुमन्य होगी।

(iv) दिव्यांगजनों (PWD candidates with 40% or above disability) के अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है, अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

<u>नोटः– आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को उपरोक्तानुसार आयु में केवल एक ही छूट जो अधिक लाभकारी हो अनुमन्य होगी।</u>

5. **<u>आरक्षणः–</u>** अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन–क्रीमीलेयर)(OBC-NCL), दिव्यांगजन (PWD), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित (DFF), भूतपूर्व सैनिक (EXSM) तथा आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के अभ्यर्थियों को लागू नियमानुसार आरक्षण का लाभ प्रदान करते हुए आरक्षित पद की संख्या विज्ञापित रिक्तियों हेतु दी गई तालिका के अनुसार होंगे। आरक्षण का लाभ लेने हेतु उ0प्र0 (उत्तर प्रदेश) का मूल निवासी होना आवश्यक है। वे अभ्यर्थी जो उ0 प्र0 के मूल निवासी नहीं है, अनारक्षित श्रेणी (UR) के अन्तर्गत ही आवेदन करें।